न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–2, सोनभद्र।

पीठासीनः **नेत्रपाल सिंह (एच0जे0एस0),**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–106/2018 (मु0अ0सं0–517/2018)

राज्य बनाम सुजीत कुमार सिंह

धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

<u>–:आरोपः–</u>

मैं, नेत्रपाल सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, सोनभद्र आप अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूंः–

<u>प्रथमः</u> यह कि दिनॉक 13.09.2018 को समय 12.20 बजे बहद स्थान चुर्क रेलवे स्टेशन गेट के सामने, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में पुलिस दल द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आपकी जामा तलाशी लेने पर आपके द्वारा पहने हुए पैण्ट के दाहिने जेब से सफेद रंग की पॉलीथीन में रखा हुआ 100 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया जिसे रखने के संबंध में आप कोई कागजात पुलिस वालों को नहीं दिखा सके। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आपने धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–24.10.2019

(नेत्रपाल सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2,
सोनभद्र

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक–24.10.2019

(नेत्रपाल सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2,
सोनभद्र

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–2, सोनभद्र

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–106/2018 (मु0अ0सं0–517/2018)

राज्य बनाम सुजीत कुमार सिंह

धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

24.10.2019–

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज बहस आरोप हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह के विरूद्ध पूर्व नियत तिथि पर गैर जमानती वारण्ट जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से वारण्ट रिकाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, अभियुक्त की ओर से रू0 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध दाखिल किया गया।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के तर्को को सुनने, केस डायरी व प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह के विरूद्ध धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित कर कार्यवाही अग्रसर किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह के विरूद्ध धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप अलग पन्ने पर विरचित किया गया। विरचित आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक–20.11.2019 को पेश हो। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–2,
सोनभद्र